भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)

और

जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल)

के मध्य

समझौता

16 **मई**, 2023 **को**

सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौता

यह समझौता 16 मई 2023 को निम्नलिखित के मध्य किया गया है:

1) **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जिसे इसके बाद **"एएआई"** कहा जाएगा, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110003, भारत में है; और

2) **जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सीमित देयता के साथ निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 10-1-43, फ्लैट नंबर 202, दूसरी मंजिल, सिरीपुरम फोर्ट, सिरीपुरम, विशाखापत्तनम-530003, आंध्र प्रदेश, भारत में है, जिसे इसके बाद "**जीवीआईएएल**" कहा जाएगा।

"**एएआई**" और "**जीवीआईएएल**" वाली अभिव्यक्ति का, जिस भी संदर्भ में प्रयोग हो, अर्थ होगा और इसमें उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे और इन्हें सामूहिक रूप से "**पक्षों**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

चूंकि:

- जीवीआईएएल उड़ान संचालन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को विकसित, डिजाइन, वित्तपोषित, विनिर्मित, पूर्ण और संचालित करने का प्रस्ताव करता है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के अनुसरण में, एएआई भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, एएआई इस समझौते में अनुसूचित नियमों और शर्तों पर हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवाएं प्रदान करेगा।

इस पर निम्नानुसार सहमति हुई है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो:

"**एएआई कमीशनिंग सेवाएं**" का अर्थ खंड 4.3 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है;

"**एएआई उपकरण**" का अर्थ जीवीआईएएल उपकरण के अलावा उन सभी उपकरणों से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार एएआई को अपनी सेवाएं (निष्पादित करने में सक्षम बनाने के लिए एएआई द्वारा आवश्यक हैं;

"**एएआई संचालन सेवाएं**" का अर्थ खंड 5.1 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है;

"**एएआई प्री-कमीशनिंग सेवाएं**का अर्थ खंड 3.2 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है;

"**एएआई सेवाएं**" का अर्थ एएआई प्री-कमीशनिंग सेवाओं, एएआई कमीशनिंग सेवाओं और एएआई संचालन सेवाओं से है;

"**प्रभावित पक्ष**" का वही अर्थ होगा जो खंड 9 में दिया गया है;

"**संबद्ध**" का अर्थ है:

- एक व्यक्ति जो किसी पक्ष की सहायक कंपनी है।
- एक व्यक्ति जिसका कोई पक्ष एक सहायक कंपनी है।
- एक व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति की सहायक कंपनी है जिसका कोई पक्ष एक सहायक कंपनी है।

इस परिभाषा के प्रयोजन हेतु, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की "सहायक कंपनी" है यदि बाद वाला कानूनी या लाभकारी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहले वाले के उन शेयरों का मालिक है जो शेयरधारकों की आम बैठक में सामान्य परिस्थितियों में 51% या अधिक वोट डालने के लिए पर्याप्त हैं।

"**एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम**" का अर्थ प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन और एयरोड्रम श्रेणी के लिए आवश्यक हवाईअड्डों पर प्रकाश व्यवस्था (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच के संबंध में शामिल) से है;

"**हवाईअड्डा**" का अर्थ आंध्र प्रदेश राज्य में भोगपुरम स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से है और इसमें इसके सभी भवन, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां शामिल हैं और जैसी भी परिस्थितियों की मांग हो, वहां इसका वैसा विस्तार शामिल है।

"**हवाईअड्डा खुलने की तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस पर प्रारंभिक चरण का वाणिज्यिक संचालन शुरू होता है;

"**हवाईअड्डा खुलने की लक्ष्य तिथि**" का अर्थ वित्तीय समापन के तुरंत बाद 36 महीने पूरे होने की तिथि या जीवीआईएएल द्वारा समय-समय पर संशोधित तिथि से है;

"**शिकागो कन्वेंशन**" का अर्थ शिकागो कन्वेंशन 1944 से है जिसे समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है; और इसके **"अनुलग्नक"** के संदर्भ का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित ऐसे ही अनुलग्नक से होगा;

"**मंजूरी**" का अर्थ किसी भी प्रकृति की लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, आदेश, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य अनुमति से है जो परियोजना के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार (भारत सरकार) से प्राप्त करना आवश्यक है;

"**सीएनएस/एटीएम सेवाएं**" का अर्थ संचार, दिक्चालन और निगरानी तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं से है जैसा कि अनुसूची 3 में वर्णित है;

"**रियायत समझौता**" का अर्थ 12 जून 2020 के उस समझौते से है जो आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएडीसीएल) और जीवीआईएएल के मध्य संपन्न हुआ था;

"**सक्षम प्राधिकारी**" का अर्थ किसी भी एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग या वैधानिक व्यक्ति से है जिसका भारत के कानूनों के तहत इस समझौते पर अधिकार क्षेत्र है;

"**ऋण**" का अर्थ परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत जीवीआईएएल के ऋणदाताओं के देय बकाया ऋण से है;

"**डीजीसीए**" का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार से है;

"**प्रभावी तिथि**" का वही अर्थ होगा जो इसे खंड 2.3 में दिया गया है;

"**ईपीसी ठेकेदार**" का अर्थ ईपीसी अनुबंधों में नामित किसी एक या अधिक पक्षों से है;

"**ईपीसी अनुबंध**" का अर्थ जीवीआईएएल और ईपीसी ठेकेदारों के मध्य समझौतों से है जिसके तहत ठेकेदार हवाईअड्डे को डिजाइन, खरीद, निर्माण और उसको पूरा करेंगे;

"**मौजूदा हवाईअड्डा**" का अर्थ मौजूदा विजाग नेवल एयरफील्ड (आईएनएस देगा) में स्थित नागरिक एन्क्लेव से है जिसे विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में जाना जाता है;

"**विस्तार**" का अर्थ मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाईअड्डे पर सुविधाओं के विस्तार से है;

"**सुविधा"** से तात्पर्य हवाईअड्डे पर जीवीआईएएल द्वारा निर्मित किए जाने वाले हवाई यातायात सेवा परिसर से है, जिसमें एक नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक और एएआई कर्मियों के लिए कार्यालय आवास के साथ-साथ नेविगेशनल एड्स / रडार के लिए परिसर में और/या परिसर से बाहर भवन शामिल होंगे, जिसमें वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और साफ-सफाई की व्यवस्था होगी, जैसा कि अनुसूची 2 में अधिक व्यापक रूप से बताया गया है;

"**वित्तीय समापन"** से तात्पर्य उस तिथि से है जिस पर वित्तपोषण समझौतों (प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित) पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हों और उन्हें सौंप दिया गया हो, तथा उनके अंतर्गत पूर्व अनुसूचित शर्तों को उस हद तक पूरा कर लिया गया हो जिससे जीवीआईएएल को आवश्यक धन तक तत्काल पहुंच प्राप्त हो सके, बशर्ते कि वह आवश्यक निकासी सूचनाएं दे दे।

"**वित्तपोषण समझौते"** से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी से भी है: (i) जीवीआईएएल द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाताओं के साथ किए गए समझौते और (ii) उपरोक्त (i) में संदर्भित

समझौतों के अनुसार ऋणदाताओं के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा दस्तावेज, प्रत्यक्ष समझौते और अन्य सहायक वचनबद्धता;

"**अप्रत्याक्षित घटना/फोर्स मेज्योर**" का अर्थ अनुसूची 4 में अनुसूचित किया गया होगा;

"**भविष्य की कमीशनिंग तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन कोई भविष्य की कमीशनिंग अवधि शुरू होगी; जैसा जीवीआईएल द्वारा खंड 4.1 के अनुसार एएआई को सूचित किया गया है;

"**भविष्य की कमीशनिंग अवधि**" का अर्थ उस अवधि से है जिस पर हवाईअड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक किसी अतिरिक्त एएआई उपकरण के संबंध में पार्टियों के मध्य सहमति हो सकती है;

"**जीओआई**" (**भारत सरकार**) का अर्थ भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के सीधे नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन उसकी विधिवत अधिकृत एजेंसी या प्राधिकरण (जिसमें कोई नियामक प्राधिकरण शामिल हियन),विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रलाया या वैधानिक व्यक्ति(चाहे स्वायत हो या नही) से है;

"**जीवीआईएएल कमीशनिंग दायित्व**" का अर्थ खंड 4.2 के अनुसार जीवीआईएएल के दायित्वों से है;

"**जीवीआईएएल उपकरण**" का अर्थ अनुसूची 1 के भाग 1 में अनुसूचित वस्तुओं से है;

"**जीवीआईएएल दायित्व**" का अर्थ जीवीआईएएल प्री-कमीशनिंग, कमीशनिंग और संचालन दायित्वों से है;

"**जीवीआईएएल संचालन दायित्व**" का अर्थ खंड 5.3 के अनुसार दायित्वों से है;

"**जीवीआईएएल प्री-कमीशनिंग दायित्व**" (का अर्थ खंड 3.1 के अनुसार दायित्वों से है;

"**प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि शुरू होगी;

"**प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि**" (का अर्थ प्रारंभिक कमीशनिंग तिथि से शुरू होने वाली तीन (3) महीने की अवधि से है;

"**आईसीएओ**" का अर्थ शिकागो कन्वेन्शन व उसके किसी भी उत्तराधिक्स्श्री द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से है;

"**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" का अर्थ घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एएआई और जीवीआईएएल द्वारा समय-समय पर सहमत प्रक्रिया से है;

"**प्रारंभिक चरण**" का अर्थ हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग से है;

"**भूमि पट्टा समझौता**": से तात्पर्य ____________दिनांकित उस समझौते से है जो ___________सरकार और __________(हवाईअड्डा कंपनी का नाम) के मध्य हुआ है, जिसके तहत ____________सरकार __________(हवाईअड्डा कंपनी का नाम) को भूमि पत्ता अधिकार व अन्य हिता लाभ प्रदान करती है।

(नोट: जीवीआईएएल ने कहा है कि कोई "भूमि पट्टा समझौता" नहीं है)

"**ऋणदाता**" से तात्पर्य उन बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीसी और इसी तरह के निकायों से है जिन्हें प्रारंभिक चरण और/या किसी भी विस्तार के वित्तपोषण (जिसमें इन उद्देश्यों के लिए कोई भी पुनर्वित्तपोषण शामिल होगा) के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋण देना है, बशर्ते कि अनुसूची 5 विस्तार चरण के ऋणदाताओं पर लागू नहीं होगी;

"**नुकसान**" **"हानि"** से तात्पर्य किसी भी प्रकार की हानि, देनदारी, लागत, व्यय, दावे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांग, दायित्व, कमियां, मुकदमे, निर्णय, निषेधाज्ञा, पुरस्कार या क्षतिपूर्ति से है;

"**मास्टर प्लान**" का अर्थ जीवीआईएएल द्वारा तैयार किए गए और रियायत समझौतों से संलग्न मास्टर प्लान से है; जोकि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है;

"**कार्यालय आवास**" का अर्थ अनुसूची 2 में अनुसूचित आवास और कार पार्किंग स्थानों से है;

"**संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" से तात्पर्य एएआई और जीवीआईएल द्वारा समय-समय पर एएआई सेवाओं और जीवीआईएल दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के दैनिक निर्वहन के संबंध में जानकारी के संचार के लिए सहमत प्रक्रिया से है;

"**कार्मिक**" का अर्थ एएआई सेवाओं और सीएनएस/एटीएम सेवाओं का निष्पादन करने वाले एएआई कर्मियों से है;

"**परियोजना**" का अर्थ हवाईअड्डे का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव और विकास है;

"आरईएसए" (**रनवे एंड सेफ्टी एरिया**) से तात्पर्य विस्तारित रनवे सेंटर लाइन के बारे में सममित और पट्टी के अंत से सटे एक क्षेत्र से है जिसका मुख्य उद्देश्य रनवे से पहले उड़ान भरने या रनवे से आगे निकल जाने वाले विमान को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना है।

"**मार्ग दिक्चालन सुविधा शुल्क**" का अर्थ मार्ग दिक्चालन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है;

"**सुरक्षा"** में कोई भी बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा हित या अन्य प्रभार या भार तथा कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है जिसका आर्थिक प्रभाव काफी हद तक समान हो;

"**सेवा प्रदाता अधिकार धारक**" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"**साइट**" से तात्पर्य उस भूमि से है जिसमें जीवीआईएल का रियायत समझौते के अनुसार हित है या होगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2203.26 एकड़ है, जिसके ऊपर और नीचे हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

*नोट: जीवीआईएल ने स्पष्ट किया है कि कोई "भूमि पट्टा समझौता" नहीं है और "साइट" शब्द रियायत समझौते पर आधारित है, जैसा कि अनुरोध किया गया था।

"**राज्य समर्थन समझौता**" का अर्थ आंध्र प्रदेश सरकार और जीवीआईएएल के मध्य संपन्न हुए दिनांक 22.12.2021 के समझौते से है;

"**लक्ष्य कमीशनिंग तिथि**" का अर्थ खंड 4.1 में दिया गया होगा;

"**टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क**" का अर्थ सीएनएस/एटीएनसेवाओं के लिए एएआई द्वारा एयरलाइनों से लिया जाने वाला शुल्क है।

1.2. व्याख्या

इस समझौते में सिवाय उस सीमा तक जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता हो:

1.2.1. संसद के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम की किसी धारा, अनुसूची या अन्य प्रावधान के किसी संदर्भ को, उस विशेष समय पर, उस अधिनियम के किसी संशोधन, विस्तार या पुनर्अधिनियमन तथा उस समय लागू सभी नियमों, आदेशों या विनियमों को शामिल करते हुए समझा जाएगा जो संबंधित अधिनियम या प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए हों या उससे वैधता प्राप्त करते हों;

1.2.2. "निर्णय" के संदर्भ में भारतीय क्षेत्राधिकार में कोई भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य न्यायिक या मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपाय शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी है;

1.2.3. "कानून" के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और किसी भी क्षेत्राधिकार के किसी भी डिक्री, निर्णय, विधान, आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम, क़ानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, वैधानिक उपकरण या अन्य विधायी उपाय शामिल हैं (और "वैध" और "अवैध" का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा);

1.2.4. एकवचन में दिए गए संदर्भों में बहुवचन में दिए गए संदर्भ भी शामिल होंगे और इसके विपरीत भी;

1.2.5. "दिन" का संदर्भ कैलेंडर दिवस से है;

1.2.6. किसी विशेष खंड, अनुच्छेद, उप-अनुच्छेद या अनुसूची के संदर्भ, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो, इस समझौते में या इसके अंतर्गत उस खंड, अनुच्छेद, उप-अनुच्छेद या अनुसूची के संदर्भ होंगे;

1.2.7. शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्माण के प्रयोजनों के लिए इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए;

1.2.8. इस अनुबंध में अन्यत्र प्रयुक्त होने पर इस अनुबंध की अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो अनुसूचियों में दिया गया है;

1.2.9. इस समझौते की अनुसूचियां इस समझौते का हिस्सा हैं और वे पूर्ण रूप से प्रभावी होंगी मानो उन्हें इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया हो;

1.2.10. किसी भी प्रकार के समझौते, विलेख, उपकरण, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज़ के किसी भी संदर्भ को उस विशेष समय पर उस समझौते, विलेख, उपकरण, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि उस समय उसमें संशोधन, परिवर्तन, पूरक, संशोधन, निलंबन या नवीनीकरण किया गया हो;

1.2.11. "लिखित" और "लिखित रूप में" शब्दों में एक प्रतिकृति प्रसारण और कार्यों को मूर्त और स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में पुनः प्रस्तुत करने का कोई भी साधन शामिल है;

1.2.12. "शामिल करना" शब्दों को बिना किसी सीमा के समझा जाएगा;

1.2.13. "निर्माण" के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, डिजाइन, खरीद, वितरण, स्थापना, परीक्षण, पूर्णता, चालू करना और निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं;

1.2.14. किसी पक्षकार के संदर्भ में उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनियों को शामिल किया जाएगा।

1.2.15. खंडों के भीतर दी गई परिभाषाओं का वही अर्थ होगा जो उसमें निहित है; और

1.2.16. "**व्यक्ति**" के संदर्भ में (संदर्भ के अनुसार) कोई भी प्राकृतिक और/या न्यायिक इकाई (जिसमें भारत सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार शामिल है) शामिल है।

2. **पूर्ववर्ती शर्तें**

2.1. **सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें**

इस समझौते के प्रावधान (खंड 2, 2, 11 से 13 और 15 से 20 को छोड़कर) उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस दिन निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएंगी:

i. एएआई को जीवीआईएएल से नोटिस की प्राप्ति कि रियायत समझौता निष्पादित हो गया है और शर्तें पूरी हो गई हैं;

ii. एएआई को जीवीआईएएल से नोटिस की प्राप्ति कि ईपीसी अनुबंध निष्पादित हो गए हैं;

iii. एएआई को जीवीआईएएल से नोटिस की प्राप्ति कि वित्तीय समापन हो गया है; (बशर्ते कि ऐसी किसी भी शर्त को आपसी लिखित समझौते द्वारा माफ किया जा सकता है।)

2.2. **पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न करना**

2.2.1. **पूरा न होने पर समाप्ति**:

यदि खंड 2.1 की शर्तें 12 महीने के भीतर पूरी नहीं होती हैं, तो किसी भी पक्ष को 21 दिनों का नोटिस देकर समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।

2.2.2. **समय का विस्तार**:

पक्षों को आपसी समझौते द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि के लिए तिथि को तीन (3) और महीनों तक बढ़ाने का अधिकार होगा।

2.3. **प्रभावी तिथि**

खंड 2.1 के अध्यधीन, यह समझौता यहां पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

3. **सेवाओं का दायरा - प्री-कमीशनिंग चरण**

3.1. **जीवीआईएएल प्री-कमीशनिंग दायित्व**

वित्तीय समापन के बाद, जीवीआईएएल,

i. प्रारंभिक चालू होने की तिथि से कम से कम 180 दिन पहले तक, अपने स्वयं के खर्च पर, सुविधा का डिजाइन और निर्माण करना, सिवाय वातानुकूलन की व्यवस्था के, जो प्रारंभिक चालू होने की तिथि से 90 दिन पहले प्रदान की जाएगी;

ii. एएआई अपने स्वयं के खर्च पर, साइट पर या यदि हवाई अड्डे तक पहुँचने के संबंध में आवश्यक हो, तो साइट से बाहर, जीवीआईएल उपकरण का डिजाइन, अधिग्रहण और स्थापना करेगा, जो जीवीआईएल के स्वामित्व में होगा। एएआई जीवीआईएल उपकरणों के परीक्षण और/या चालू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यह जीवीआईएल की जिम्मेदारी होगी। यदि जीवीआईएल द्वारा आवश्यक हो, तो जीवीआईएल अपने उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम होने के लिए एएआई के साथ कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा;

iii. सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक और पारस्परिक रूप से सहमत होने वाली जल, विद्युत और वातानुकूलन, टेलीफोन, दुर्घटना अलार्म और अन्य सेवा माध्यमों की व्यवस्था अपने खर्च पर स्थापित करना;

iv. यह सुनिश्चित करना कि जीवीआईएल उपकरण को प्रारंभिक चालू करने की तिथि तक या हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जीवीआईएल उपकरण के मामले

में, भविष्य की चालू करने की तिथि तक, अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित, परीक्षण और चालू किया जाए;

v. एएआई उपकरण और जीवीआईएल उपकरण के बीच इंटरफेस की पहचान AAI को करना; और

vi. एएआई को हवाई अड्डे या उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों तक ऐसी पहुंच प्रदान करना जिसकी एएआई को एएआई पूर्व-आयोगन सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यकता हो;

vii. रनवे डिजाइन करने और विभिन्न सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने से पहले, जीवीआईएल प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निकटवर्ती भौगोलिक केंद्र से 30 मील के क्षेत्र का सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से करवाएगा। उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट एएआई को प्रस्तुत की जाएगी, साथ ही सीएनएस/एटीएम सुविधाओं के स्थान को अंतिम रूप देने और विभिन्न संरचनाओं आदि के लिए एनओसी जारी करने हेतु एएआई की सहमति प्राप्त की जाएगी।

3.2. **एएआई प्री-कमीशनिंग सेवाएं**

वित्तीय समापन के बाद एएआई करेगा:

i. एएआई, एएआई के स्वामित्व वाले एएआई उपकरणों को परिसर में, साइट पर, या यदि आवश्यक हो तो हवाईअड्डे तक पहुंचने के संबंध में साइट से बाहर, डिजाइन, खरीद और स्थापित करेगा।

ii. यह सुनिश्चित करें कि एएआई उपकरण प्रारंभिक चालू करने की तिथि या भविष्य की चालू करने की तिथि तक स्थापित, परीक्षण और चालू कर दिया जाए। ऐसे उपकरणों की लागत, जिसमें उन्नयन (यदि कोई हो) भी शामिल है, इस समझौते के खंड 7.4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार जीवीआईएएल द्वारा वहन की जाएगी।

iii. पूर्व-चालन चरण के दौरान एएआई द्वारा जनशक्ति की तैनाती और/या एएआई द्वारा जीवीआईएएल को प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के कारण किए गए सभी व्यय, एएआई द्वारा जीवीआईएएल से उन संसाधनों की उपलब्धता की तिथि से वसूल किए जा सकेंगे जो एएआई के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

iv. एएआई और जीवीआईएल के उपकरणों और इंटरफेसों के बीच समन्वय स्थापित करना और अनुकूलता सुनिश्चित करना। किसी भी पक्ष द्वारा इंटरफेस की आवश्यकता होने पर, उक्त इंटरफेस (ओं) की लागत जीवीआईएल द्वारा वहन की जाएगी।

v. यदि जीवीआईएल द्वारा आवश्यक हो, तो ईपीसी ठेकेदारों द्वारा जीवीआईएल उपकरण के संबंध में किए गए किसी भी बेंचमार्क परीक्षण में जीवीआईएल के खर्च पर भाग लें।

vi. मानचित्र, चार्ट, सर्वेक्षण, उपकरण उड़ान प्रक्रिया डिजाइन तैयार करना, साइट का दौरा करना और संबंधित कार्य जीवीआईएएल के खर्च पर, कार्य जमा आधार पर करना।

*नोट: इसमें IAL प्रक्रियाएं, PBN उड़ान प्रक्रियाएं, SIDS/STARS आदि शामिल हैं, जैसा कि लागू हो।

3.3. **समन्वय**

एएआई और जीवीआईएल स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के खंड 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 और 5.3 के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ समन्वय करना होगा और इस संबंध में:

1. वित्तीय समापन के बाद पहले महीने से शुरू होकर, पक्षकार एक संयुक्त समन्वय समिति-सीएनएस/एटीएम ("जेसीसी-सीएनएस/एटीएम") की स्थापना करेंगे, जिसकी बैठक विशाखापत्तनम में त्रैमासिक आधार पर या जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के किसी सदस्य द्वारा बुलाए जाने पर अधिक नियमित आधार पर होगी;

II. आईसीसी की अध्यक्षता जीवीआईएल करेंगे;

iii. जेसीसी-सीएनएस/एटीएम में चार सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक पक्ष दो सदस्यों को मनोनीत और नियुक्त करेगा। यह माना जाएगा कि पक्षों ने जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के सदस्यों को जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के समक्ष रखे गए सभी मामलों में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूर्ण अधिकार सौंप दिया है। समिति के सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए वैकल्पिक सदस्यों के नाम भी मनोनीत और प्रस्तावित कर सकते हैं;

iv. यदि जेसीसी-सीएनएस/एटीएम किसी मामले पर पक्षों की संतुष्टि के अनुरूप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है, तो कोई भी पक्ष सर्वप्रथम ऐसे मामले को जीवीआईएएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एएएल के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने का हकदार होगा। यदि उपर्युक्त वरिष्ठ अधिकारी मामले को उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो कोई भी पक्ष धारा 13 के अंतर्गत समाधान हेतु मामले को प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

3.4. **एएआई के सामान्य दायित्व**

i.ईपीसी ठेकेदारों को ऐसी जानकारी प्रदान करना और उनसे इस प्रकार और इस प्रकार संवाद करना जिससे ईपीसी ठेकेदार हवाईअड्डे के निर्माण के साथ-साथ सुविधा और कार्यालय आवास को समय पर, व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत तरीके से डिजाइन और पूरा कर सकें;

ii. कार्यस्थल पर सुरक्षा और उद्योग की अच्छी प्रथाओं के अनुसार कार्यों की देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना;

iii. किसी भी कारण से देरी होने के कारण सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में आवश्यक किसी भी पुनर्व्यवस्थापन में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करना;

iv. सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए ईपीसी ठेकेदार द्वारा अपनाए गए किसी भी त्वरित उपाय में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करना; और

v. सुविधा और/या कार्यालय आवास के डिजाइन या निष्पादन के कारण आवश्यक होने पर, या यदि कोई असुरक्षित स्थिति मौजूद है या उत्पन्न होने की संभावना है, या यदि साइट पर स्थितियों के कारण आवश्यक है, या यदि रियायत समझौते के अनुसार भारत सरकार की किसी कार्रवाई के कारण आवश्यक है, तो जीवीआईएएल के आदेश पर सुविधा और/या कार्यालय आवास पर काम निलंबित करना।करना।

4. **सेवाओं का दायरा** - **कमीशनिंग चरण**

4.1. **कमीशनिंग अवधि का प्रारंभ**

4.1.1. जीवीआईएएल यथाशीघ्र और अधिकतम वित्तीय समापन से तीन सौ पैंसठ (365) दिनों की तिथि तक एएआई को उस तिथि की सूचना देगा जिस पर जीवीआईएएल को प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि शुरू होने की उम्मीद है ("लक्ष्य कमीशनिंग तिथि")।

4.1.2. जीवीआईएएल, एएआई को उपरोक्त खंड 4.1.1 के अनुसार जीवीआईएएल द्वारा अधिसूचित लक्ष्य चालू करने की तिथि से कम से कम एक सौ अस्सी (180) दिन पहले उस तिथि की सूचना देगा जिस पर जीवीआईएएल को प्रारंभिक चालू करने की तिथि होने की उम्मीद है और लक्ष्य चालू करने की तिथि को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

4.1.3. जीवीआईएएल, 'एएआईएल को उस तिथि से कम से कम तीन सौ पैंसठ दिन पहले सूचित करेगा जिस पर जीवीआईएल को किसी भी भविष्य की कमीशनिंग तिथि के घटित होने की उम्मीद है।

4.2. **जीवीआईएएल कमीशनिंग दायित्व**

4.2.1. प्रारंभिक चालू करने की तिथि या भविष्य में चालू करने की तिथि से कम से कम तीस (30) दिन पहले, जीवीआईएएल एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि:

i) प्रारंभिक चरण के संबंध में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच का निर्माण प्रारंभिक चालू करने की अवधि तक संबंधित आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से किया जाएगा और हवाईअड्डे के उद्‌घाटन की तारीख तक विमान संचालन के लिए उपलब्ध होगा;

ii) प्रारंभिक चरण के लिए रनवे की स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और आरईएसए तथा टैक्सीवे की स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि तक किया जाएगा तथा उसके बाद प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त प्रासंगिक आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उनका रखरखाव किया जाएगा;

iii) प्रारंभिक चालू होने की अवधि से ही हवाईअड्डे और पहुँच एवं उड़ान क्षेत्र की बाधा-सीमित सतहों को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को संबंधित आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमा तक सीमित रखा जाएगा, जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र जीएसआर 751(ई) में निहित है, जिसे जीएसआर

770(ई) द्वारा संशोधित किया गया है और जो मोका वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी प्रदान करने हेतु एएआई से संपर्क किया जाएगा;

iv) प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि से बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी संबंधित आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी;

v) प्रारंभिक चालू होने की तिथि से, जीवीआईएल फायर वॉच टावर में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएगा ताकि एएआई कर्मियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके;

vi) हवाईअड्डे के खुलने की तारीख से परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों/जानवरों की परेशानी को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था की जाएगी।

4.2.2. कमीशनिंग अवधि के दौरान, जीवीआईएएल करेगा:

1) प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि के प्रारंभ होने के चौदह (14) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, एएआई को लिखित रूप में पुष्टि करें कि जीवीआईएएल उपकरण की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है। जीवीआईएएल, एएआई को लिखित रूप में यह भी पुष्टि करेगा कि हवाईअड्डे के उद्घाटन की तिथि तक प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक उपकरण का परीक्षण कर लिया गया है और संचालन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है;

ii) एएआई को अपने कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाईअड्डे तक ऐसी पहुंच प्रदान करना, जिसकी एएआई को एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यकता हो;

iii) एएआई को विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करना ताकि वह एएआई कमीशनिंग सेवाओं को पूरा कर सके।

iv) अतिरिक्त बिजली (स्टैंडबाय) की आवश्यकता होने पर एएआई के साथ समन्वय करना।

v) एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसकी उन्हें एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

vi) एएआई को परिवहन और आवास (कार्यालय, आवासीय और नौवहन सहायता/रडार के लिए भवन) प्रदान करना ताकि एएआई अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

vii) एटीसी में एएसआईएल को एसटीडी सुविधा के साथ सीधा टेलीफोन उपलब्ध कराएं।

4.3. **एएआई कमीशनिंग सेवाएं**

4.3.1 प्रारंभिक चालू करने की अवधि और किसी भी भविष्य की चालू करने की अवधि के दौरान, और जीवीआईएल द्वारा निर्धारित हवाईअड्डे के संचालन परीक्षणों के दौरान, एएआई निम्नलिखित कार्य करेगा:

I. खंड 4.2.1 के अनुसार जीवीआईएल से प्राप्त सूचना की प्राप्ति के चौदह (14) दिनों के भीतर जीवीआईएल को लिखित रूप में पुष्टि करें कि सभी एएआई उपकरण की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है और एएआई उपकरण ईपीसी ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ संगत है;

II. एएआई उपकरणों का परीक्षण और कमीशनिंग इस प्रकार की जानी चाहिए कि वे पूरी तरह से चालू हों;

III. एएआई उपकरण को एएआई द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक हवाई नेविगेशन और मौसम विज्ञान उपकरण और प्रणालियों के साथ-साथ जीवीआईएएल उपकरण के साथ आवश्यकतानुसार एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। जीवीआईएएल उपकरण के साथ ऐसे एकीकरण की कोई भी लागत जीवीआईएएल द्वारा वहन की जाएगी;

IV. एएआई उपकरण को चालू करने के लिए आवश्यक अंशांकन उड़ानें संचालित करें और जहां तक संभव हो, जीवीआईएल के साथ उन उड़ानों का समन्वय करें ताकि जीवीआईएल भी उसी समय एएआई के उपकरण का अंशांकन कर सके। स्पष्टता के लिए, जीवीआईएल द्वारा एएआई के उपकरण के अंशांकन में किए गए खर्च के लिए एएआई उत्तरदायी नहीं होगा। एएआई द्वारा जीवीआईएल उपकरण के अंशांकन में किया गया खर्च जीवीआईएल से वसूल किया जाएगा।

V. जहां उपयुक्त हो, हवाईअड्डे को चालू करने के लिए आवश्यक किसी भी जांच और प्रक्रियाओं के निष्पादन में जीवीआईएल और डीजीसीए की सहायता करें;

VI. हवाईअड्डे और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं, नियमावली और चार्टों को तैयार करना और प्रकाशित करना, जो आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार हों;

VII. ग्राम सेना, आईसीएओ के अनुलग्नकों और दस्तावेजों के अनुसार तथा समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन, रक्षा आवश्यकताओं और उस उड़ान सूचना क्षेत्र के अनुरूप जिसमें वह संचालित होती है, परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर जीवीआईएल के साथ पारस्परिक रूप से सहमत होगी; और

VIII. जीवीआईएल और अन्य एजेंसियों को यथोचित रूप से संभव सहायता प्रदान करेगा।

4.3.2. एएआई, एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के दौरान, ईपीसी ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा कि एएआई उपकरण जीवीआईएल उपकरण के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत हो।

4.3.3. धारा 4.3.1 के अनुसार एएआई कमीशनिंग सेवाओं के निष्पादन के बाद और प्रारंभिक कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि की समाप्ति से पहले, एएआई लिखित रूप में जीवीआईएल को पुष्टि करेगा कि एएआई उपकरण पूरी तरह से चालू है और जीवीआईएल उपकरण के साथ एकीकृत है तथा एएआई उपकरण इस प्रकार है कि एएआई संबंधित आईसीएओ अनुलग्नकों और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई परिचालन सेवाएं प्रदान कर सकता है।

5. **सेवाओं का दायरा - प्रचालन चरण**

5.1. **एएआई प्रचालनात्मक सेवाएं**

5.1.1. एएआई एक-शिफ्ट प्रचालन के साथ शुरुआत करेगा या एएआई और जीवीआईएएल के मध्य आपसी सहमति के आधार पर बहु-शिफ्ट प्रचालन को पूरा करने के लिए अपनी सीएनएस/एटीएनसेवाओं का विस्तार करेगा, जो हवाईअड्डा खुलने की तिथि से और उसमें शामिल है, प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में अनुसूचित प्रासंगिक मानकों के अनुसार।

5.1.2. एएआई अनुसूची 3 में परिभाषित सीएनएस/एटीएनसेवाओं के प्रचालनात्मक खर्चों के त्रैमासिक लागत वसूली आधार पर प्रदान करेगा। पूंजीगत व्यय की वसूली या तो कार्य जमा आधार पर की जाएगी या 12% की वार्षिक प्रतिशत दर पर वार्षिक किस्तों के रूप में, दस वर्ष की अवधि में परिशोधित की जाएगी।

5.1.3. एएआई उपकरणों का रखरखाव करना, जिसमें एएआई उपकरणों की आवधिक उड़ान अंशांकन और अन्य परीक्षण करना शामिल है;

5.1.4. एएआई उपकरणों को समय-समय पर अपग्रेड करना (i) प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए न्यूनतम रूप से।

5.1.5. ऐसे उपकरणों की खरीद करना जो हवाईअड्डे पर प्रासंगिक सीएनएस/एटीएनसेवाएं प्रदान करने के लिए एएआई को सक्षम बनाने हेतु समय-समय पर आवश्यक हो सकते हैं।

5.1.6. जीवीआईएएल की लागत पर, हवाईअड्डे पर जीवीआईएएल द्वारा अपेक्षित संशोधन/विस्तार/उन्नयन के कारणों से अपनी जीवीआईएएल प्रचालनात्मक सुविधा के लिए एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करना, बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण जीवीआईएएल के दायित्वों और/या हवाईअड्डे के सुचारू संचालन को प्रभावित न करे।

5.1.7. हवाई यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक ऐसी प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करना;

5.1.8. समय-समय पर सहमत हवाईअड्डा समुदाय नेटवर्क के माध्यम से सहमत प्रारूप, आवृत्ति और वितरण के तरीके में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंदोलनों के लिए हवाई यातायात आंदोलनों के सभी आंकड़े जीवीआईएएल को प्रदान करना; और

5.1.9. ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया (सीएनएस/एटीएनसेवा के टूटने सहित) के तहत आवश्यक ऐसी जानकारी प्रदान करना और उसका रिकॉर्ड रखना तथा जीवीआईएएल और एयरमेन को नोटिस जारी करना।

5.1.10. हवाईअड्डे की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक को सीएनएस/एटीएनसेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक ऐसे एनरूट उपकरण, जीवीआईएएल की लागत पर प्रदान करना।

5.2. [**एटीएम- एनरूट और अन्य सेवाएं यदि आवश्यक हो**]

एएआई, जीवीआईएएल की पूर्व सहमति प्राप्त करने के अध्यधीन, जिसे अनुचित तरीके से नहीं रोका जाएगा, हवाईअड्डे पर या साइट पर एनरूट एयर दिक्चालन श्रृंखला के प्रावधान के लिए आवश्यक कोई भी उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है। हवाईअड्डे पर ऐसे उपकरण या अन्य सुविधाएं स्थापित करते समय, एएआई हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। संदेह से बचने के लिए, जीवीआईएएल के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कार्यों के कारण हवाईअड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान के लिए एएआई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा निर्मित, संचालित या अनुरक्षित सभी इमारतें, कार्य या सुविधाएं (यदि कोई हैं) समय-समय पर डिज़ाइन और वास्तुकला दिशानिर्देशों तथा मास्टर प्लान के अनुरूप हों।

5.3. **जीवीआईएएल के प्रचालनात्मक दायित्व**

हवाईअड्डा खुलने की तिथि के बाद, जीवीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि:

5.3.1. प्रारंभिक चरण के लिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से बनाए रखा गया है और विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं;

5.3.2. प्रारंभिक चरण के लिए रनवे के स्ट्रिप, शोल्डर, स्टॉप वे और आरईएसए तथा टैक्सीवे के स्ट्रिप और शोल्डर का निर्माण किया गया है और प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त रूप से बनाए रखा गया है;

5.3.3. हवाईअड्डे की बाधा सीमा सतहों और एप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाए या बाधाओं को प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में

निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय सीमाओं तक सीमित रखा जाए, जैसा कि नागर विमानन मंत्रालय वेबसाइट पर GSR 770(E) द्वारा संशोधित भारत सरकार के राजपत्र GSR 751(E) में निहित है, जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी प्राप्त करने हेतु एएआई से संपर्क किया जाएगा;

5.3.4. विभिन्न सीएनएस/एटीएनउपकरणों/सुविधाओं के लिए एएआई द्वारा पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए और इन क्षेत्रों में किसी भी ऐसी बाधा की अनुमति न दी जाए जो इन उपकरणों/सुविधाओं के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकती है और विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

5.3.5. प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उचित श्रेणी उपलब्ध कराई जाए और बनाए रखी जाए;

5.3.6. परिचालन क्षेत्र में और उसके आस-पास पक्षियों/जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए हवाईअड्डे पर उचित व्यवस्था मौजूद हो;

5.3.7. निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाईअड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्था (contingency arrangements) मौजूद हो:

1. रनवे से अक्षम विमान को हटाना;
2. विमान या हवाईअड्डे को बम की धमकी;
3. हवाईअड्डे के अंदर और आस-पास गंभीर दुर्घटनाएं;
4. गैर-अनुसूचित विमान को हवाईअड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
5. हवाईअड्डे पर आग लगना;
6. प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
7. हवाईअड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति;
8. हवाईअड्डे पर नागर विमाननके साथ गैरकानूनी हस्तक्षेप से निपटने के लिए अपहरण-विरोधी उपाय;
9. टर्मिनल बिल्डिंग पर या हवाईअड्डे पर किसी भी परिचालन क्षेत्र पर आतंकवादी हमला।

5.3.8. सुविधा को आपातकालीन सेवाओं (अग्नि, चिकित्सा और पुलिस) और हवाईअड्डा प्रबंधक से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई हो;

5.3.9. एएआई को उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाईअड्डे और सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुंच प्रदान की जाए जो एएआई प्रचालनात्मक सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;

5.3.10. जीवीआईएएल की लागत पर एएआई को निम्नलिखित प्रदान किया जाए:

- □. एएआई प्रचालनात्मक सेवाओं को करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति और पानी की निरंतर आपूर्ति;

- एएआई प्रचालनात्मक सेवाओं को करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा। प्रदान किए जाने वाले परिवहन की संख्या का निर्णय जीवीआईएएल और एएआई द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा;
- EPABX एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन, एटीसी में सेल फोन।

5.3.11. इस हद तक कि एएआई यह अनुसूचित करता है कि, हवाईअड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाईअड्डे पर बिजली की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, एएआई अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में जीवीआईएएल को सूचित करेगा और पक्ष एएआई द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने और समझौते पर पहुँचने के लिए मिलेंगे;

5.3.12. एएआई और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना जो एएआई प्रचालनात्मक सेवाओं के निष्पादन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

5.3.13. एएआई सेवाओं के प्रावधान में हवाईअड्डे पर तैनात एएआई कर्मियों और एएआई के एजेंटों के लिए कार्यालय, आवासीय आवास और दिक्चालनल एड्स/राडार के लिए इमारतों को हर समय उपलब्ध कराना;

5.3.14. अपनी लागत पर, प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में अनुसूचित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम, मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करना;

5.3.15. यह सुनिश्चित करना कि इसके कर्मचारी और एजेंट, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में किसी भी विफलता या दोष और किसी भी जीवीआईएएल उपकरण की अनुपलब्धता की सूचना एएआई को दें जैसे ही उन्हें ऐसे विफलता या दोष के बारे में पता चलता है;

5.3.16. आपात स्थिति को छोड़कर, समय-समय पर संशोधित पक्षों के मध्य लिखित रूप में आपसी सहमति के अनुसार ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, जीवीआईएएल द्वारा प्रदान की गई किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापसी के बारे में एएआई को सूचित करना;

5.3.17. एएआई के निर्देश पर, जीवीआईएएल की लागत पर, रनवे या संचलन क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाना और यह सुनिश्चित करना कि इसके कर्मचारी और एजेंट, यथास्थिति, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी किसी भी बाधा के बारे में पता चलने पर एएआई को सूचित करें;

5.3.18. जीवीआईएएल की लागत पर, हवाईअड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों से एएआई उपकरणों को स्थानांतरित करना;

5.3.19. अपग्रेड या विस्तार के मामले में, जीवीआईएएल एएआई उपकरणों के लिए कुल लागत का वहन करेगा जो आईसीएओ की सिफारिशों से अधिक है और जिसके लिए जीवीआईएएल द्वारा अनुरोध किया जाता है;

5.3.20. विमान के आगमन के अनुमानित समय (ETA) की प्राप्ति पर विमान के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित करना और एएआई को सूचित करना तथा एएआई तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करेगा।

6. सुविधा में परिवर्तन

6.1. परिवर्तन के लिए अनुरोध

यदि प्रभावी तिथि के बाद एएआई को सुविधा और/या कार्यालय आवास में किसी परिवर्तन या भिन्नता की आवश्यकता होती है, तो वह अनुरोध किए जा रहे परिवर्तन या भिन्नता का पूरा विवरण और ऐसे परिवर्तन या भिन्नता के कारणों को प्रदान करते हुए ऐसी आवश्यकताओं के बारे में जीवीआईएएल को लिखित रूप में सूचित करेगा।

6.2. ऐसे परिवर्तन जो जीवीआईएएल की लागत को प्रभावित नहीं करते हैं

यदि खंड 6.1 के अनुसरण में एएआई द्वारा अनुरोधित परिवर्तन या भिन्नता प्रारंभिक चरण को प्रभावित, विलंबित या बाधित नहीं करती है, तो जीवीआईएएल परिवर्तन को लागू करने के लिए उचित रूप से आवश्यक ऐसे कदम उठाएगा।

7. राजस्व और शुल्क

7.1. रूट दिक्चालन फैसिलिटीज चार्जेस

रूट दिक्चालन फैसिलिटीज चार्जेस एयरलाइंस से सीधे लिए जाएंगे और जीवीआईएएल को ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।

7.2. टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग चार्जेस

एयरलाइंस द्वारा देय टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग चार्जेस एयरलाइंस द्वारा सीधे एएआई को भुगतान किए जाएंगे और जीवीआईएएल को ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।

7.3. संग्रह

एएआई द्वारा रूट दिक्चालन फैसिलिटीज चार्जेस या टर्मिनल नेविगाशनल लैंडिंग चार्जेस को एकत्र करने में विफलता और/या किसी एयरलाइन द्वारा भुगतान करने में विफलता, एएआई सेवाओं के निष्पादन या खंड 7.4 में अनुसूचित शुल्क का भुगतान करने के अपने दायित्व से एएआई को किसी भी रूप में या किसी भी तरह से माफ नहीं करेगी। बशर्ते कि किसी विशेष एयरलाइन (एयरलाइंस) द्वारा एएआई को रूट दिक्चालन फैसिलिटीज चार्जेस और/या टर्मिनल नेविगाशनल लैंडिंग चार्जेस का भुगतान करने में बार-बार डिफ़ॉल्ट करने की विफलता के मामले में, एएआई के पास ऐसे एयरलाइन (एयरलाइंस) को एएआई सेवाएं प्रदान न करने के

सभी अधिकार होंगे और यह इस समझौते में प्रदान किए गए अनुसार एएआई सेवाओं के निष्पादन में एएआई की ओर से डिफ़ॉल्ट नहीं होगा।

7.4. **सीएनएस-एटीएम सेवा शुल्क**

पैरा 5.1 में उल्लिखित सीएनएस-एटीएमसेवाओं का प्रावधान लागत वसूली के आधार पर होगा। लागत वसूली की तंत्र नीचे दी गई होगी:

i. **कैपेक्स**

जीवीआईएएल, कार्य जमा के माध्यम से एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान के संबंध में सभी खर्चों को वहन करेगा।

या

पूंजीगत व्यय लागत जीवीआईएएल से दस साल की अवधि में परिशोधित, 12% की वार्षिक प्रतिशत दर पर वार्षिक वर्ष की किस्त (किस्तों) के रूप में वसूल की जाएगी।

ii. **ओपेक्स**

जीवीआईएएल हर साल की 15 जनवरी/अप्रैल/जुलाई/अक्टूबर तक सीएनएस-एटीएमसेवाओं की त्रैमासिक, अनुमानित लागत को अग्रिम रूप से जमा करेगा, जिसमें जनशक्ति, उपकरण रखरखाव, आवृत्ति स्पेक्ट्रम लागत, ओवरहेड शुल्क आदि शामिल हैं।

पिछले वर्ष के दौरान एएआई द्वारा एकत्र किए गए टीएनएलसी राजस्व को वार्षिक ओपेक्स लागत से काट लिया जाएगा। किसी भी कमी के मामले में उसे जीवीआईएएल द्वारा सहन किया जाएगा।

iii. इसके अतिरिक्त, जीवीआईएएल निम्नलिखित के बराबर अलग-अलग बैंक गारंटी (बीजी) देगा:

- सीएनएस-एटीएम सेवाओं की छह महीने की लागत (ओपेक्स)। यह बीजी शुरू में 2 साल की अवधि के लिए होगी, अवधि की समाप्ति पर समय-समय पर नवीनीकृत की जाएगी;
- दस साल की अवधि में 12% की APR पर परिशोधित कैपेक्स वसूली का दो साल का समतुल्य। यह BG 2 साल की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे अवधि की समाप्ति से पहले तब तक समय-समय पर नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि पूरी कैपेक्स राशि वसूल नहीं हो जाती, ताकि किसी भी समय एएआई के पास परिशोधित कैपेक्स की 2 साल की वसूली का BG हो।

दोनों बैंक गारंटी जीवीआईएएल द्वारा एएआई कमीशनिंग चरण के दौरान एएआई को प्रस्तुत की जाएंगी।

नोट

1. प्री-कमीशनिंग चरण और कमीशनिंग चरण के दौरान एएआई द्वारा किया गया सभी खर्च, जो जनशक्ति की तैनाती और/या जीवीआईएएल को एएआई द्वारा प्रदान की गई किसी

अन्य सेवा के कारण उत्पन्न होता है, ऐसी अवधि के दौरान एएआई के दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को रखने की तारीख से जीवीआईएएल से एएआई द्वारा वसूली के लिए लागू होगा।

2. नोट 1 में बताए गए एएआई द्वारा किए गए सभी खर्च, पैरा 3.2 (iii) के अनुसार प्रचालनात्मक चरण की शुरुआत से पहले जीवीआईएएल से वसूल किए जाएंगे।
3. वसूली पैरा 3.2 (ii), 3.2 (iii) और 5.1.2 के अनुसार होगी।

7.5. एएआई द्वारा देय किराया शुल्क

आवासीय आवास को छोड़कर, अनुसूची 2 में अनुसूचित सुविधा और कार्यालय आवास प्रदान करने के प्रतिफल में एएआई द्वारा जीवीआईएएल को कोई किराया शुल्क देय नहीं होगा।

8. सेवाओं के मानक और निष्पादन करने में विफलता

8.1. सेवाओं के मानक

8.1.1. एएआई हर समय प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सी और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में अनुसूचित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा।

8.1.2. एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कर्मी, जीवीआईएएल की लागत पर, किसी भी समय जीवीआईएएल द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें, और रियायत समझौते द्वारा आवश्यक सेवा स्तर के मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने में जीवीआईएएल की सहायता करें।

8.2. गैर-हस्तक्षेप

एएआई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि इसके कर्मी और एजेंट हस्तक्षेप न करें, बाधित न करें या हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, वित्तपोषण और/या रखरखाव में किसी भी व्यवधान का कारण न बनें और हवाईअड्डा खुलने की तारीख के बाद, और एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक होने के अलावा, हवाईअड्डे के संचालन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या बाधा न डालें।

8.3. क्षतिपूर्ति

8.3.1. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों को किसी भी और सभी भुगतानों के बराबर हर्जाना देगा, बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा, जो पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपलों और एजेंटों के खिलाफ या उनके द्वारा उठाए गए नुकसान, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के कारण उत्पन्न होते हैं, जो किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कार्य या चूक द्वारा) के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के परिणामस्वरूप होते हैं (फोर्स मेज्योरकी घटना की घटना को छूट दी गई है), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावों के लिए दावे शामिल हैं।

8.3.2. पक्षों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय और इसके अनुसरण में दर्ज किए गए किसी भी दस्तावेज इस समझौते से उत्पन्न होने वाले

या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचन शामिल है, कानून या इक्विटी में अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद।

9. **फोर्स मेज्योर**

9.1. **फोर्स मेज्योर**

खंड 9 तब लागू होगा जब किसी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फोर्स मेज्योर के कारण पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोका जाता है, बाधित होता है या में देरी होती है जैसा कि अनुसूची 4 में परिभाषित किया गया है।

9.2. **फोर्स मेज्योर के परिणाम**

9.2.1. **निष्पादन दायित्व**

प्रभावित पक्ष अनुपालन करने में किसी भी विफलता, या देरी से अनुपालन करने के लिए किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ तक ऐसी विफलता या देरी सीधे तौर पर फोर्स मेज्योरकी किसी भी घटना के कारण हुई है और विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमति दी गई समय तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

9.2.2. **अधिसूचना**

यदि प्रभावित पक्ष का दावा है कि उसे फोर्स मेज्योर की किसी भी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोक दिया गया है, तो वह जल्द से जल्द लिखित रूप में अन्य पक्षों को आधार और परिणामों बताते हुए नोटिस देगा।

9.2.3. **न्यूनीकरण**

प्रभावित पक्ष फोर्स मेज्योर की घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

10. **अवधि**

यह समझौता इसकी शुरुआत की तारीख और उस तारीख से तीस (30) साल की अवधि के मध्य बल में माना जाएगा, उसके बाद समान अवधियों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा, और भारत सरकार या एएआई नीतियों में बदलाव की स्थिति में समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

11. **समाप्ति**

11.1. **जीवीआईएएल समाप्ति घटनाएं**

एएआई जीवीआईएएल को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

i. जीवीआईएएल इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और एएआई से डिफ़ॉल्ट निर्दिष्ट करने और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्राप्ति के बीस (20) दिनों के भीतर ऐसी विफलता को सुधारा नहीं जाता है;

ii. जीवीआईएएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसे न तो छुट्टी दी जा सकती है और न ही, यथास्थिति, उसके 90 दिनों के भीतर रद्द किया जा सकता है;

iii. जीवीआईएएल इस समझौते में किसी भी दायित्व (पैसा भुगतान करने के दायित्व के अलावा) का निष्पादन या अनुपालन करने में विफल रहता है जो एएआई के अधिकारों और दायित्वों पर एक महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव डालता है और यदि ठीक करने में सक्षम है, तो ऐसा ऐसा विफलता एएआई से नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है, डिफ़ॉल्ट को निर्दिष्ट करती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। बशर्ते कि एएआई समाप्ति का ऐसा नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि उपर्युक्त (i) और/या (ii) में अनुसूचित घटनाएं और/या परिस्थितियां फोर्स मेज्योरका परिणाम और/या परिणाम हैं;

iv. इस समझौते को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है;

v. यदि रियायत समझौता समाप्त हो जाता है;

vi. और प्रत्येक मामले में आगे प्रदान किया जाता है कि जीवीआईएएल द्वारा समय पर उपचारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या एएआई द्वारा रोका नहीं गया है।

11.2. **एएआई समाप्ति घटनाएं**

जीवीआईएएल रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधनों के अध्यधीन, सीएनएस/एटीएन सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए लागू कानून जीवीआईएएल को अनुमति देता है, तो जीवीआईएएल एएआई को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा।

11.3. **समाप्ति नोटिस का प्रभाव**

यदि इस खंड 13 के अनुसार एएआई या जीवीआईएएल द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो समाप्ति के नोटिस की सेवा की तारीख के बाद नब्बे (90) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय जब तक कि समाप्ति के नोटिस के जारी होने के कारण बनने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह से सुधारा नहीं गया है या लागू होना बंद नहीं हो गया है, समाप्ति का नोटिस जारी करने वाला पक्ष तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

11.4. **समाप्ति के परिणाम**

यदि यह समझौता जीवीआईएएल द्वारा इस खंड 11.2 के अनुसार समाप्त हो जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएआई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाईअड्डों का संचालन बंद न हो, एएआई तुरंत भारत सरकार को एएआई अधिनियम, 1998 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आपसी सहमति की शर्तों पर "जैसी है-जहां है"स्थिति में एएआई सेवाओं के निष्पादन में एएआई द्वारा तैयार किए गए सभी एएआई उपकरण, मैनुअल, चार्ट और अन्य ज्ञापनों को भारत सरकार को सौंप देगा। एएआई पूर्व1 उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। उसके बाद हवाईअड्डे पर एएआई द्वारा प्रदान की गई एएआई सेवाओं के बराबर सेवाएं किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रदान किए जाने के लिए उचित समझे जाने वाले उचित कदम उठाने के लिए भारत सरकार से परामर्श करना जीवीआईएएल का एकमात्र विवेक होगा। एएआई पूर्वोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीवीआईएएल को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। यह इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकार या उपायों के बिना पूर्वाग्रह के होगा।

12. **समनुदेशन**

12.1. **एएआई द्वारा समनुदेशन**

इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, एएआई जीवीआईएएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्व का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिती या ट्रांसफरी इस समझौते के नियमों और शर्तों से बंधे होंगे।

12.2. **जीवीआईएएल द्वारा समनुदेशन**

इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, लेकिन खंड 17.5 के अध्यधीन, जीवीआईएएल एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा; बशर्ते, हालांकि, कि जीवीआईएएल इस तरह की पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एएआई को पूर्व लिखित सूचना पर कर सकता है:

i. जीवीआईएएल के अपने सभी या काफी हद तक सभी अधिकारों और दायित्वों को किसी सहयोगी को स्थानांतरित करना;
ii. जीवीआईएएल में स्वामित्व हितों के खरीदार को इसके तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को स्थानांतरित करना;
iii. ऋणदाताओं को, किसी भी वित्तपोषण समझौते के तहत देय राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में इस समझौते के तहत जीवीआईएएल के अधिकारों को स्थानांतरित करना जिसके तहत जीवीआईएएल ने पैसा उधार लिया है; या
iv. रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार को इसके तहत अपने सभी या काफी हद तक सभी अधिकारों और दायित्वों को स्थानांतरित करना।

13. **विवाद समाधान**

13.1. पक्ष इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

13.2. **मध्यस्थता संदर्भ**

विवादों के निस्तारण से संबंधित प्रासंगिक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण कानून में निहित किसी भी बात के अध्यधीन, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार आपसी बातचीत के माध्यम से, किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना देने के साठ (60) दिनों (या ऐसी लंबी अवधि जिस पर पक्षकार सहमत हों) के भीतर हल करने में असमर्थ हैं, उसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ("अधि.") और/या इसके किसी भी सांविधिक संशोधन के अनुसार और अधिनियम के अनुसार नियुक्त तीन मध्यस्थों द्वारा UNCITRAL नियमों ("नियम") के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से अनुसूचित किया जाएगा।

13.3. **विविध**

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और अंतिम दायित्व मध्यस्थ के फैसले के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट या सलाहकार या वकील नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकट से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

13.4. **निर्णय/पंचाट**

इस खंड 13 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्ष किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसे पंचाट की अपील या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को छोड़ देते हैं जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि दिया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट संबंधित पक्ष की संपत्तियों के खिलाफ पक्षों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्तियां कहीं भी स्थित हों या पाई जा सकती हैं, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर निर्णय (जहां भी आवश्यक हो) इसके किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्ष किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रति स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं।

14. **बीमा का रखरखाव**

14.1. एएआई अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष के दायित्व, कामगार मुआवजा नीति और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा को हर समय जीवीआईएएल से लागत वसूली के आधार पर या कार्य जमा आधार पर प्रभावी रखेगा और बनाए रखेगा। जीवीआईएएल और ऋणदाता इस समझौते के तहत एएआई बीमा पॉलिसी के तहत सह-बीमित के रूप में नामित किए जाएंगे।

14.2. **पॉलिसी**

खंड 14.1 के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तीस (30) दिनों के भीतर, एएआई जीवीआईएएल को सूचित करेगा कि ऐसा बीमा प्राप्त कर लिया गया है और यदि ऋणदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो जीवीआईएएल को ऐसी पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियां, बीमा पॉलिसी की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि इस तरह के बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। एएआई द्वारा जीवीआईएएल को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के कम से कम पैंतालीस (45) दिनों के नोटिस की समाप्ति तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.3. **बीमा करने में विफलता के लिए उपाय**

यदि एएआई सभी ऐसे बीमा को प्रभावी करने और बल में रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत ज़िम्मेदार है, तो जीवीआईएएल के पास ऐसा कोई भी बीमा बल में रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और एएआई से उसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

14.4. **बीमा आय का अनुप्रयोग**

इस समझौते के तहत एएआई को भुगतान किए जाने वाले सभी बीमा दावों को भौतिक क्षति से संबंधित बीमा आय को छोड़कर क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए लागू किया जाएगा।

15. **नोटिस**

15.1. **लिखित संचार**

ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा जाए, फैक्स या पत्र द्वारा किया जा सकता है।

15.2. **पते**

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस प्रकार है:

जीवीआईएएल:

ध्यान दें:मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पता:

जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट,

10-1-43, फ्लैट संख्या. 202, द्वितीय ताल,

सिरपुरम, किला,सिरपुरम, विशाखापत्तनम 530003,
आंध्र प्रदेश, भारत

एएआई:

ध्यान दें अध्यक्ष
पता:
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
फैक्स: [011 24681081]
ईमेल: [edasm@aai.aero] और [gmatschn@aai.aero]

या कोई भी वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जैसा कि कोई पक्ष पांच व्यावसायिक दिनों से कम के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

16. **डीमेड डिलीवरी**

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि edasm@एएआई.aero और gmatschn@एएआई.aero पर ईमेल द्वारा भेजा जाता है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जाएगा जहाँ इसे भेजा जाता है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 15.2 द्वारा आवश्यक पते पर छोड़ा जाता है या उस पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के 10 ऐसे कार्य दिनों के भीतर भेजा जाता है। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अन्य दिन हैं।

17. **विविध**

17.1. **पृथकता**

इस समझौते के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों या प्रावधानों में से किसी एक की अवैधता या अप्रवर्तनीयता, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, शेष ऐसे अनुच्छेदों या प्रावधानों की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी। यदि इस समझौते का कोई भी महत्वपूर्ण प्रावधान अमान्य या अपरिवर्तनीय आयोजित किया जाता है, तो पक्ष तुरंत ऐसे अमान्य या अपरिवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए अच्छे विश्वास में नए प्रावधानों पर पुनर्गठन करेंगे ताकि इस समझौते को यथासंभव इसके मूल इरादे और प्रभाव के करीब लाया जा सके।

17.2. **संपूर्ण समझौता**

यह समझौता, इस समझौते की कोई भी अनुसूची या निष्पादन, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में एएआई और जीवीआईएएल के मध्य संपूर्ण समझौते को शामिल करता है और ऐसे विषय के संबंध में लिखित या मौखिक सभी अन्य समझौतों का स्थान लेता है।

17.3. **संशोधन**

कोई भी संशोधन, सुधार या अन्य परिवर्तन किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति न दी जाए।

17.4. **अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई**

17.4.1. जीवीआईएएल वाणिज्यिक संचालन शुरू करने में सक्षम होने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से शुरुआती दो साल की अवधि के लिए हवाईअड्डा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, और उसके बाद तत्काल पूर्ववर्ती दो साल की अवधि के लिए जारी किए गए हवाईअड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा तय किए गए दो साल या उससे अधिक की आगे की अवधि के लिए इसके नवीनीकरण के लिए कदम उठाएगा। समय-समय पर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और बनाए रखने के लिए, एएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और सीएनएस-एटीएमसेवाओं के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय के सभी नुस्खों के अनुरूप जीवीआईएएल और नागर विमानन महानिदेशालय की सहायता करेगा।

17.4.2. प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित और वितरित करने और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने तथा ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत है, जो इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इस समझौते के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

17.5. **प्रत्यक्ष समझौता**

एएआई, ऋणदाताओं के अनुरोध पर, इस समझौते की अनुसूची 5 के रूप में संलग्न फॉर्म के अनुसार ऋणदाताओं के साथ एक प्रत्यक्ष समझौता करेगा, जिसके तहत, अन्य बातों के अलावा, एएआई समझौते के तहत समाप्ति के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के किसी भी इरादे का पूर्व नोटिस देने के लिए सहमत है, ऐसे ऋणदाता को जीवीआईएएल की ओर से डिफ़ॉल्ट को ठीक करने का अधिकार देता है, और/या कुछ परिस्थितियों में ऐसे ऋणदाताओं को जीवीआईएएल के दायित्वों को पूरा करने और लाभ उठाने के लिए खुद को प्रतिस्थापित करने या तीसरे पक्ष के विकल्प को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

17.6. **देरी से भुगतान के लिए ब्याज**

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तारीख के बाद भी अवैतनिक रहने पर ब्याज (निर्णय से पहले और बाद में दोनों) लगेगा, ऐसा ब्याज उस तारीख से दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब तक उपचित होगा जब तक कि ऐसी राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लेंडिंग रेट से दो (2) प्रतिशत अंक अधिक की दर से पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जाती है।

17.7. **कोई साझेदारी नहीं**

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह एक हिस्सा बनता है, और न ही पक्षों द्वारा ऐसे किसी भी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के मध्य साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास (इस समझौते के आधार पर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने और रद्द नहीं किए जाने के अलावा) किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

17.8. **कोई तीसरे पक्ष का लाभार्थी नहीं**

यह समझौता यहाँ के पक्षों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी भी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध, या पक्ष में कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

17.9. **काउंटरपार्ट्स**

यह समझौता एक या अधिक काउंटरपार्ट्स में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और जिनमें से सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

17.10. **समय सार का है**

इस समझौते में समय सार का होगा, दोनों उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और किसी भी तिथि, अवधि या दिन के समय के संबंध में जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

17.11. **समय की गणना**

इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। इस समझौते के तहत अनुसूचित या अनुमत समय की किसी भी अवधि की गणना करने में, उस अधिनियम, घटना या डिफ़ॉल्ट के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे अनुसूचित अवधि शुरू होती है। यदि गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

18. **शासी भाषा**

वह भाषा जो इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करती है, अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य सभी संचार और प्रलेखन जो इस समझौते के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति के लिए प्रासंगिक हैं, जिनमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

19. **शासी कानून**

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और construed किया जाएगा।

20. **एएआई द्वारा प्रसंविदा**

एएआई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

i. सहमत है कि, यदि इस समझौते के संबंध में या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में इसके या इसकी संपत्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो स्वयं की ओर से या इसकी संपत्ति के संबंध में ऐसी कार्यवाही से किसी भी उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;

ii. किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में किसी भी राहत या किसी भी प्रक्रिया के जारी होने के संबंध में आम तौर पर सहमति देता है (ऐसी किसी भी संपत्ति के खिलाफ या उसके संबंध में किसी भी ऐसे निर्णय या पंचाट के निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन या किसी भी निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश सहित, इसके उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना)।

इस बात के साक्षी के रूप में, यह समझौता शुरुआत में बताई गई तारीख को दर्ज किया गया है।

एएआई की ओर से: (एस. स्वामीनाथन) महाप्रबंधक(एटीएम-एटीएस)	**साक्षी** : (अनिल कृष्ण देवा) जेजीएम(एटीएम)
जीवीआईएएल की ओर से: (मनोमय राय) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	**साक्षी** : (रमित चौधरी) महाप्रबन्धक

अनुसूची 1

भाग 1: **जीवीआईएएल उपकरण**

1. रनवे
2. रनवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
3. टैक्सीवे
4. टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
5. साइनेज
6. एप्रन
7. एप्रन प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
8. सुविधा
9. एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10. पीएपीआई और एप्रोच लाइटिंग
11. एयरोड्रम बीकन (टॉवर पर)
12. लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग
13. हवा की दिशा संकेतक (प्रकाशित)
14. आइसोलेशन बे
15. माध्यमिक बिजली आपूर्ति
16. एटीसी और हवाईअड्डा अग्निशमन दल के मध्य हॉट लाइनें
17. क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18. एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम
19. विजुअल एड्स अपग्रेड (भविष्य)
20. साइट हवाईअड्डा दिक्चालन एआईडीएस/राडार के एप्रोच रोड के अलावा परिचालन क्षेत्र के लिए एप्रोच रोड
21. एएआई कर्मियों और उसके एजेंटों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास
22. दिक्चालनल एड्स/राडार प्रतिष्ठानों के लिए इमारतें
23. ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन और एटीसी में सेल फोन
24. आईसीएओ विनिर्देश के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
25. एटीसी टॉवर में प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर

भाग 2: **एएआई उपकरण**

एएआई प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक, प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सर और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएनएस-एटीएमउपकरण (संकेतक सूची) प्रदान करेगा:

क्र.सं.	विवरण
1.	वीएचएफ (VHF)
2.	मैनपैक्स (Manpacks)
3.	डीएटीआईएस (DATIS)
4.	डीवीआर (DVR)
5.	वीसीएस (VCS)
6.	डीवीओआर/एचपी-डीएमई (DVOR/HP-DME)
7.	आईएलएस/एलपी-डीएमई (ILS/LP-DME)
8.	एडीएस-बी (ADS B)
9.	एएसआर/एमएसएसआर (ASR/MSSR)
10.	ए-एसएमजीसीएस (A-SMGCS)
11.	एएमएसएस (AMSS)
12.	ऑटोमेशन सिस्टम (स्वचालन प्रणाली)
13.	नेव-एड्स के लिए यूपीएस (UPS for Nav-aids)
14.	टॉवर के लिए यूपीएस (UPS for Tower)
15.	टर्मिनल बिल्डिंग के लिए यूपीएस (UPS for Terminal building)
16.	जीपीएस क्लॉक/सीसीटीवी/आरएफ लिंक (GPS Clock/CCTV/RF Link)
17.	इंस्ट्रूमेंट एप्रोच प्रक्रियाएं

सीएनएस बुनियादी ढांचा स्थापना के संबंध में जीवीआईएएल के दायित्व

क्र.सं.	विवरण
1.	आग का पता लगाने और शमन प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव।
2.	सभी सीएनएस/एटीएम संस्थापनों पर गैस शमन प्रणाली की स्थापना और रखरखाव।
3.	विद्युत सर्ज सुरक्षा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव।
4.	सभी सीएनएस दूरस्थ स्थलों और अग्निशमन केंद्र से तकनीकी ब्लॉक तक ऑप्टिकल फाइबर/आरसी केबलों की आपूर्ति और बिछाने/समाप्ति।
5.	सीएनएस/एटीएम स्थलों पर आईटी बुनियादी ढांचे यानी इंट्रानेट/इंटरनेट की स्थापना।
6.	सीएनएस/एटीएम फर्नीचर फिक्सर और सभी बुनियादी सुविधाएं।
7.	डिजिटल हाइब्रिड ईपीएबीएक्स प्रणाली की स्थापना और रखरखाव।
8.	वॉकी-टॉकपी बेस स्टेशनों और हैंडसेट की स्थापना और रखरखाव।
9.	सभी सीएनएस/एटीएम स्थलों पर उपकरण अर्थिंग सिस्टम की खरीद/बिछाने/समाप्ति।

अनुसूची 2

एएआई कर्मियों और एएआई उपकरणों के लिए कार्यालय और आवासीय आवास, कार पार्किंग और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति

1. नियंत्रण टॉवर और तकनीकी ब्लॉक: जीवीआईएएल नियंत्रण टॉवर और तकनीकी ब्लॉक के लिए 4468* वर्ग मीटर (कुल क्षेत्रफल) का एक क्षेत्र उपलब्ध कराएगा, जिसमें दिक्चालन-एड्स और रडार बिल्डिंग के अलावा आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों को रखा जा सके।
2. कार्यालय: जीवीआईएएल तकनीकी ब्लॉक में कार्यालय स्थान के लिए उपयुक्त आयाम का एक क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3. कार पार्किंग: जीवीआईएएल हवाईअड्डे पर 75 (पचहत्तर) कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।
4. स्टैंडबाय आपूर्ति: जीवीआईएएल एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए हवाईअड्डे पर एएआई को पर्याप्त स्टैंडबाय विद्युत क्षमता उपलब्ध कराएगा।
5. एएआई कर्मियों और उसके एजेंट को आवासीय आवास।
6. एएआई के सीएपी निदेशालय की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित स्थानों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं *** (मानक आवश्यकताओं से ऊपर) प्रदान की जा सकती हैं:
7.

क्र.सं.	कमरे का प्रकार	आयाम मीटर में
1.	परीक्षा कक्ष	7 मीटर × 5 मीटर
2.	कक्षा सह बैठक कक्ष	15 मीटर × 10 मीटर
3.	मूल्यांकन कक्ष	5 मीटर × 4 मीटर
4.	रिकॉर्ड कक्ष	7 मीटर × 5 मीटर
5.	कॉम्पैक्टर कक्ष	15 मीटर × 10 मीटर
6.	नमूना संग्रह कक्ष	5 मीटर × 4 मीटर
7.	श्वास विश्लेषक परीक्षण कक्ष	5 मीटर × 4 मीटर
8.	विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण और परीक्षण कक्ष	10 मीटर × 8 मीटर

- विमानन मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग को आवंटित किए जाने वाले क्षेत्र/स्थान को अंतिम रूप देने के लिए हवाईअड्डा संचालक भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समन्वय करेगा।

  **एएआई कर्मचारियों की ओर से एएआई द्वारा भुगतान किए जाने वाले आवासीय आवास के लिए लाइसेंस शुल्क, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

  *** यह उम्मीद की जाती है कि इनमें से कुछ आवश्यकताएं ऊपर दिए गए बिंदु 1 के तहत दिए गए क्षेत्र का पहले से ही हिस्सा हैं। तदनुसार, कुल आवश्यक क्षेत्रफल लगभग 4700 वर्ग मीटर होने की उम्मीद है।

अनुसूची 3

सीएनएस/एटीएम सेवाएं

एएआई हवाईअड्डे पर पार्श्व और ऊर्ध्वाधर सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र विन्यास के लिए उपयुक्त रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

i. एयरोड्रम नियंत्रण सेवा, जिसमें सतह संचलन नियंत्रण और एप्रन नियंत्रण सेवा शामिल है;

ii. एप्रोच नियंत्रण/एप्रोच रडार नियंत्रण सेवा (नियोजित);

iii. क्षेत्र नियंत्रण/क्षेत्र रडार नियंत्रण सेवा (नियोजित);

iv. संबंधित सेवाएं जैसे एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस (AMS), एयरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज (AFS), एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस (AIS), फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्ट सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज, जैसा उचित हो, सभी प्रासंगिक आईसीएओ एनेक्सर और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक हैं।

अनुसूची 4

फोर्स मेज्योर की परिभाषा

इस समझौते में, "फोर्स मेज्योर" का अर्थ किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिनका उल्लेख पैराग्राफ (ए) में किया गया है जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छे उद्योग अभ्यास द्वारा या किसी सुविधा के निर्माण के संबंध

में उचित कौशल और देखभाल के अभ्यास द्वारा नहीं रोक सका था, और जो, या जिनका कोई भी परिणाम, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के किसी भी पक्ष द्वारा निष्पादन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोकता है, बाधित करता है या में देरी करता है।

"फोर्स मेज्योर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं जहाँ तक वे, या उनके परिणाम, उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

क. निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

i. भारत में काम के निष्पादन पर नियोजित किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद; भारत के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति;
ii. बिजली गिरना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, आंधी, बाढ़, जलप्रलय, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, अवतलन, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थिति या तत्वों की क्रियाएं, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या लगे हुए लोगों द्वारा साइट पर लाया गया है या लाया गया है जब तक कि यह हवाईअड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक नहीं था):
iii. हवाईअड्डे पर कोई भी दुर्घटना;
iv. हवाईअड्डे में शामिल करने के लिए अभिप्रेत और पारगमन के दौरान कार्गो के किसी भी आकस्मिक नुकसान या क्षति, जो हवाईअड्डा खुलने की तारीख से पहले होती है;
v. हवाईअड्डे को नुकसान या गंभीर आकस्मिक क्षति;
vi. महामारी;
vii. युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, embargo, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक कोमोशन);
viii. तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों का खतरा;
ix. भगवान का कृत्य या;
x. पूर्वगामी के समान प्रकृति का कोई भी कार्य, घटना या परिस्थिति;

ख. बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम फोर्स मेज्योरका गठन करने या कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

I. कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता;
II. बाजार स्थितियों के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं फोर्स मेज्योरकी घटना के कारण या परिणाम नहीं थीं।

ग. और आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ (ए) में ऊपर संदर्भित एक कार्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्ष को प्रभावित करती है (बिना किसी सीमा के, निर्माण, ठेकेदार या हवाईअड्डे के संचालक, किसी पक्ष के सहयोगी या किसी पक्ष या उसके सहयोगी के उप-ठेकेदार सहित) जो किसी पक्ष को अपने दायित्व के निष्पादन में रोकती है, बाधा डालती है या देरी करती है, ऐसे पक्ष के रूप में यहाँ फोर्स मेज्योरका गठन करेगी यदि और इस हद तक कि यह उस प्रकार या चरित्र की है कि यदि यह उस पक्ष के साथ हुआ होता जो इस खंड पर भरोसा करना चाहता है, तो यह इस अनुसूची 4 के तहत फोर्स मेज्योरकी परिभाषा के अंतर्गत आ जाता।

अनुसूची 5
एएआई के प्रत्यक्ष करार का प्रारूप
जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

पता: 10-1-43, फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल,
सिरपुरम फोर्ट, सिरपुरम, विशाखापत्तनम 530003, आंध्र प्रदेश

[तारीख]

(अध्यक्ष)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली 110003

प्रिय [अध्यक्ष],

हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (**"एएआई"**) और **जीवीआईएएल** ("**कंपनी"**) के मध्य [•] दिनांकित सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के समझौते ("**सीएनएस/एटीएम समझौता**") का संदर्भ लेते हैं।

सीएनएस/एटीएम समझौते में परिकल्पित रूप से, कंपनी वित्तपोषण समझौतों (सीएनएस/एटीएम समझौते में परिभाषित और जिनकी प्रतियां आपको वितरित की गई हैं) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है, जिसके अनुसार सुरक्षित पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) आंध्र प्रदेश राज्य में भोगपुरम में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।

ऐसे वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में, हम इसके द्वारा आपको सूचित करते हैं कि [•] के पक्ष में दर्ज किए जाने वाले मॉर्टगेज़ ("मॉर्टगेज़") के अनुसार, कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ("**ऋणदाताओं**") के लाभ के लिए ट्रस्टी ("**मॉर्टगेज़ ट्रस्टी**") के रूप में कंपनी ने ऋणदाताओं के लाभ के लिए मॉर्टगेज़ ट्रस्टी को कंपनी की सभी संपत्तियों में प्रथम प्राथमिकता सुरक्षा हित ("**संपार्श्विक**") प्रदान किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा सीएनएस/एटीएनसमझौता शामिल है।

ऋणदाताओं को मॉर्टगेज़ ट्रस्टी के साथ यहाँ "**सुरक्षित पक्ष**" कहा गया है। कंपनी अनुरोध करती है कि, इस पावती और सहमति की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और वापस करके ("**समझौता**"), एएआई सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि करे और सहमत हो:

□. एएआई

I. मॉर्टगेज़ की एक प्रति की प्राप्ति को स्वीकार करता है;

II. सुरक्षित पक्षों के देय दायित्वों के लिए सुरक्षा के रूप में सीएनएस/एटीएनसमझौते में कंपनी के सभी अधिकार, शीर्षक और हित के मॉर्टगेज़ के तहत समनुदेशन (और मॉर्टगेज़ के तहत समनुदेशन सक्षम नहीं होने की सीमा तक प्रभार) के लिए सहमति देता है;

III. एएआई सहमत है कि ऐसे समनुदेशन (या मामले के अनुसार प्रभार) सीएनएस/एटीएनसमझौते का उल्लंघन या विरोध नहीं करते हैं या नहीं करेंगे;

IV. एएआई सहमत है कि इस समझौते का इसका निष्पादन और वितरण ऐसे समनुदेशन (या मामले के अनुसार प्रभार) के लिए इसकी उचित लिखित सहमति का गठन करता है और सीएनएस/एटीएनसमझौते के खंड 12.2 में प्रदान किए गए अनुसार संभावित समनुदेशन है;

□. एएआई सहमत है कि यदि मॉर्टगेज़ ट्रस्टी ने कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के अनुसार सीएनएस/एटीएनसमझौते के तहत खुद को या अपने पदनामित को कंपनी के लिए प्रतिस्थापित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करना चुना है, तो ऐसा मॉर्टगेज़ ट्रस्टी या उसका पदनामित कंपनी के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा;

□. एएआई सहमत है कि यह मॉर्टगेज़ के अनुसार मॉर्टगेज़ सुरक्षा ट्रस्टी को कंपनी के सच्चे और वैध वकील के रूप में मान्यता देगा;

□. एएआई सहमत है कि एएआई मॉर्टगेज़ ट्रस्टी को एक नोटिस जारी किए बिना सीएनएस/एटीएनसमझौते को समाप्त नहीं करेगा या उसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित नहीं करेगा;

□. एएआई सहमत है कि मॉर्टगेज़ ट्रस्टी नोटिस को जन्म देने वाली घटना को सुधारने के लिए आवश्यक हो सकता है, सीएनएस/एटीएनसमझौते की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने या करने की खरीद करने के लिए किसी भी समय हकदार होगा;

□. एएआई सहमत है कि यह सुरक्षा ट्रस्टी को किसी भी ऐसी घटना के होने पर तुरंत सूचित करेगा जो एएआई को सीएनएस/एटीएनसमझौते के खंड 11.1 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है और सुरक्षा ट्रस्टी को (कंपनी को ऐसे नोटिस की सेवा के साथ एक साथ) ऐसे मामलों के होने के किसी भी नोटिस की एक प्रति प्रदान करेगा जिसमें उसके तहत उपाय अवधि की समाप्ति से पहले और बाद का कोई भी नोटिस शामिल है।

□. यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित और वर्णित किया जाएगा।

□. इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या अंतर, इसकी प्रकृति की परवाह किए बिना, सीएनएस/एटीएनसमझौते के खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसके प्रावधानों को संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किया गया है और इसका एक हिस्सा बनाया गया है मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से अनुसूचित किए गए थे।

□. सीएनएस/एटीएनसमझौते के खंड 19 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किए जाते हैं और इसका एक हिस्सा बनाए जाते हैं मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से अनुसूचित किए गए थे।

□. यह समझौता ऋणदाताओं को देय कोई बकाया ऋण नहीं होने की तारीख पर इसके किसी भी पक्ष द्वारा बिना किसी आगे की कार्रवाई के समाप्त हो जाएगा।

□. यह समझौता प्रभावी तिथि पर प्रभावी हो जाएगा।

भवदीय,

एयरपोर्ट कंपनी

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण [•] के इस [•] दिन को स्वयं को इस समझौते के पूर्ववर्ती नियमों से बंधे होने की स्वीकारोक्ति और सहमति देता है ।

हस्ताक्षर द्वारा:

नाम:

पद:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते की तारीख से यह **अभिस्वीकृत**, **मान्य और सम्मत** है:

[•] मॉर्टगेज़ ट्रस्टी के रूप में।

हस्ताक्षर:

नाम:

पद: